21- न्यास पत्रक में संशोधन -

प्रन्यासी मण्डल को स्थायी प्रन्यासियों के कुल संख्या के दो तिहाई बहुमत से न्यास पत्रक में इस प्रकार के संशोधन करने का अधिकार होगा जिनसे न्यास के मूलरूप में कोई परिवर्तन न हो ।

22- न्यास का वित्तीय वर्ष -

न्यास वित्तीय वर्ष को ही अपना वर्ष मानेगी तथा उसकी लेखा पुस्तकें आय-व्यय, विवरण व चिटठा वित्तीय वर्ष के अनुसार ही तैयार किये जायेंगे ।

23- विघटन तथा उसके पश्चात न्यास की सम्पत्ति का निस्तारण -

यदि किसी कारण अथवा परिस्थितिवश प्रन्यासी मण्डल द्वारा न्यास का विघटन करने का निर्णय किया जाता है तो न्यास की सम्पत्ति में से न्यास के ऊपर से ऋणों का भुगतान करने के बाद जो कुछ शेष रहेगा उसका न्यास के सदस्यों अथवा पदाधिकारियों में वितरण नहीं किया जायेगा बल्कि उसे समान उद्देश्य के लिए कार्य करने वाली संस्था अथवा संस्थानों को दे दिया जायेगा ।

मैं एतदद्वारा साक्षीगणों की उपस्थिति में नीचे अपने हस्ताक्षर कर इस न्यास के घोषणा-पत्र का निष्पादन करता हूँ ।

दिनांक 27.1.97

आशीष
हस्ताक्षर

Anil Kumar
(ANIL KUMAR)
Behind Punjab National Bank, Kankhal (Hardwar)

Manish Mehta
Advocate
Vehali Compound, Hardwar
27/1/97

आशीष